कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी चन्दौली।

पत्रांक :2021/प्र0प0नवी0/cde/chandauli/cfo दिनांक: 6 मई, 2021

सेवा में,

प्रबंधक/प्रधानाचार्य
मानस कॉन्वेन्ट स्कूल
मानस नगर, मुगलसराय
जनपद–चन्दौली।

विषय: अग्निसुरक्षा संबंधी प्रमाण–पत्र नवीनीकरण करने के संबंध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक **MCS/MGS/021/91** दिनांक 26–4–2021 एवं संलग्न अग्निसुरक्षा प्रमाण–पत्र दिनांकित 28.07.2017

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रके संबंध में आपके विद्यालय का अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है–

1– विद्यालय भवन भूतल, प्रथमतल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल तक निर्मित है जहाँ तक अग्निशमन के वाहन सुगमतापूर्वक आवागमन कर सकते हैं।

2– विद्यालय भवन का कुल प्लाट एरिया 9146 वर्गमीटर है।

3– विद्यालय भवन का कुल कवर्ड एरिया 4388.50 वर्ग मीटर है।

4– विद्यालय भवन की ऊंचाई भू0 13.412 मीटर व सी0 8 मीटर है।

5– भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था निरीक्षण के समय कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में पाये गए।

6– विद्यालय परिसर में ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण नहीं किया जाएगा।

7– विद्यालय भवन की विद्युत सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

8– निरीक्षण के दौरान विद्यालय भवनमें हैजार्ड सिस्टम की व्यवस्था कराया जाना पाया गया।

अतः इस शर्त के साथ अनापत्ति प्रमाण–पत्र नवीनीकरण किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष विहित फीस राजकीय कोष में जमा कराने के उपरान्त प्राथमिक अग्निशमन उपकरण/सिस्टम अग्निशमन विभाग से निरीक्षण/परीक्षण कराने के पश्चात् प्रमाण–पत्र का नवीनीकरण कराना होगा। अन्यथा अग्निशमन उपकरणों के अकार्यशील व अनुपलब्धता की दशा में प्रमाण–पत्र स्वतः निरस्त समझा जाएगा। निरीक्षण/परीक्षण कराने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधक/प्रधानाचार्य की होगी तथा यह प्रमाण–पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

06/05/21

(सुम[illegible])
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
चन्दौली।